उत्तराखण्ड शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग–1
संख्या–598/XI(1)/17/51(01)2016
देहरादूनः दिनांकः 10 नवम्बर, 2017

## कार्यालय ज्ञाप

आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड, पौडी के पत्र संख्या–1762/व0वै0सहा0/2017–18 दिनांक 01 सितम्बर, 2017 के माध्यम से श्री रमेश चन्द, खण्ड विकास अधिकारी (निलम्बित) का दिनांक 01.09.2017 प्रत्यावेदन प्राप्त हुआ। श्री रमेश चन्द्र द्वारा अपने उक्त प्रत्यावेदन के माध्यम से अवगत कराया गया है कि धीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री नन्दन सिंह परिहार, निवासी दुगई स्टेट भवाली, नैनीताल के द्वारा उनकी पत्नी श्रीमती कमला परिहार, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के मानसिक व शारीरिक शोषण किये जाने के सन्दर्भ में दिनांक 15.03.2016 को थाना–द्वाराहाट, जिला अल्मोडा में अधोहस्ताक्षरी के विरूद्ध विभिन्न धाराओं में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट व परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, अल्मोडा के स्तर पर की गई प्राथमिक जांच के आधार पर उत्तराखण्ड शासन ग्राम्य विकास अनुभाग–3 के कार्यालय आदेश संख्या–55/XI/16/51(01)2016 दिनांक 09.05.2016 के द्वारा अधोहस्ताक्षरी को निलम्बित करते हुए कार्यालय, आयुक्त, ग्राम्य विकास, पौडी में सम्बद्ध किया गया था। उनके विरूद्ध दर्ज उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट साजिश व षडयन्त्र के तहत एक निहायत ही फर्जी व कूटरचित तथ्यों पर आधारित एवं बदनीयती से बदनाम करने की मंशा से दर्ज करायी गयी थी। उक्त दर्ज मुकदमें की सुनवाई मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अल्मोडा में हुई और मा0 न्यायालय द्वारा उक्त मामले की सुनवाई कर अपने आदेश दिनांक 26 अगस्त, 2017 के द्वारा अधोहस्ताक्षरी को समस्त आरोपों से दोष मुक्त कर दिया गया है। अतः मा0 न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के आलोक में उनके निलम्बन आदेश दिनांक 09.05.2016 को निरस्त कर सेवा में बहाल करते हुए पदस्थापित करने का अनुरोध किया गया है।

2– श्री रमेश चन्द्र, खण्ड विकास अधिकारी (निलम्बित) जो कि तत्समय खण्ड विकास अधिकारी, द्वाराहाट के पद पर कार्यरत थे, के विरूद्व श्रीमती कमला परिहार पत्नी श्री धीरेन्द्र परिहार, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, द्वाराहाट, जनपद अल्मोडा के द्वारा उनके शारीरिक तथा मानसिक उत्पीडन के सन्दर्भ में दिनांक 15.03.2016 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी, जिसके आधार पर श्री रमेश चन्द्र के विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता की धारा–354, 354–ए, 306, 376 तथा 506 के अर्न्तगत अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसके फलस्वरूप श्री रमेश चन्द्र को शासन के आदेश दिनांक 09.05.2016 के माध्यम से निलम्बित करते हुए उन्हें आयुक्त, ग्राम्य विकास, पौडी के कार्यालय से सम्बद्व कर दिया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने तथा अन्वेषण प्रचलित होने के आधार पर श्री रमेश चन्द्र को दिनांक 16.09.2016 को गिरफ्तार करते हुए जिला कारागार, अल्मोडा में न्यायिक हिरासत में रखा गया।

3– प्रकरण में विभागीय स्तर पर भी परियोजना निदेशक, अल्मोडा के द्वारा प्राथमिक जॉच तथा मुख्य विकास अधिकारी, अल्मोडा के द्वारा अनुशासनिक जॉच की गयी। विभागीय जॉच के निष्कर्ष के अनुसार यद्यपि पीड़िता को मानसिक रूप से प्रताडित करने और उसका शारीरिक शोषण करने की पुष्टि नही हुई, परन्तु उन्हें शासकीय कार्यालय की मर्यादा तथा सुचिता के विरूद्व कार्य करने हेतु दोष सिद्व पाया गया।

4– मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 06.10.2016 को श्री रमेश चन्द्र को जमानत पर रिहा कर दिया गया तथा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अल्मोडा द्वारा मा0 न्यायालय में दायर वाद संख्या–CRN No.UKAL010002672016 में दिनांक 26 अगस्त, 2017 को पारित अन्तिम आदेश में श्री रमेश चन्द्र को दोषमुक्त करते हुए मुख्यतः प्रशासनिक दृष्टिकोण से अनुपालन योग्य निम्नवत् आदेश पारित किये गयेः–

1. अभियुक्त रमेश चन्द्र आर्य को धारा 354, 354क, 376 व 506 भा0 दं0सं0 के आरोपों में पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जाता है।
2. इस निर्णयादेश की एक प्रति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अल्मोडा को सभी सुसंगत प्रपत्रों प्राथमिकी, महिला दरोगा बसन्ती आर्या द्वारा अंकित बयान प्रदर्श–5, पीडिता का धारा 161 दं0प्र0सं0 का बयान, मजिस्ट्रेट द्वारा अंकित पीड़िता का धारा 164 दं0प्र0सं0 का बयान, मेडिकल रिपोर्ट, आरोप पत्र इत्यादि की प्रतियां इस आशय से प्रेषित की जाय कि वे गवाह पी0डब्लू0 2 कमला परिहार जिसने इस मामले में मिथ्या साक्ष्य गढा है एवं न्यायालय में मिथ्या साक्ष्य दिया है, निर्णय में दिये गये विवेचन के आधार पर इस गवाह के विरूद्ध नियमानुसार उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें। इस निर्णय में दिया गया कोई भी निष्कर्ष विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किये जाने वाली कार्यवाही को प्रभावित करने वाला न समझा जायेगा।

अतः मा0 न्यायालय के द्वारा पारित उक्त आदेश एवं इसी विषय पर सम्पादित संदर्भगत अनुशासनिक जांच के उपरांत लिये गये निर्णय के अनुसार श्री रमेश चन्द्र को सवेतन बहाल करते हुए एतद्द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त की जाती है। चूंकि विभागीय अनुशासनिक जांच में आरोप संख्या–2 के संदर्भ में श्री रमेश चन्द्र को शासकीय कार्यालय की मर्यादा एवं सुचिता के विरूद्ध कार्य करने हेतु दोषी पाया गया है, अतः मुख्य आपराधिक आरोप से मा0 न्यायालय के द्वारा दोष मुक्त कर दिये जाने के बावजूद भी संदर्भगत जांच के निष्कर्ष एवं उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 के प्राविधानों का संज्ञान लेते हुए उन्हें व्यक्तिगत पत्रावली के माध्यम से चेतावनी देने का भी निर्णय लिया गया है।

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 598 /XI(1)/17/51(01) 2016 तद्दिनांक।

**प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस, सी–1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन को संदर्भगत आदेश के प्रस्तर–4 के बिन्दु–2 के सन्दर्भ में मा0 न्यायालय के द्वारा पारित आदेश का संज्ञान लेते हुए अपने स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही करने के अनुरोध सहित।(मा0 न्यायालय के आदेश की छायाप्रति भी संलग्न)
4. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
6. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड, पौडी।
7. जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, अल्मोडा।
8. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, अल्मोडा।
9. व्यक्तिगत पत्रावली में चस्पा हेतु।
10. सम्बन्धित अधिकारी (द्वारा आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड, पौडी)
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(तुलसी राम)
अपर सचिव।

u-o letter